

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2445]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 17, 2015/कार्तिक 26, 1937

No. 2445]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 17, 2015/KARTIKA 26, 1937

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2015

का.आ. 3097(अ).—केन्द्र सरकार, गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 15 के साथ पठित धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा केन्द्र सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) की दिनांक 5 फरवरी, 1997 की अधिसूचना संख्या का.आ. 85(अ) में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:

उपरोक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 18 और उससे संबंधित प्रविष्टि में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए;
नामत: :—

“18 डॉ. विजयलक्ष्मी साधो,
संसद सदस्य (राज्य सभा),
97-98, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली

सदस्य”

2. उपर्युक्त सदस्य का कार्यकाल इस अधिसूचना की तारीख से 3 वर्ष की अवधि अथवा राज्य सभा में उनकी सदस्यता रहने तक, इसमें से जो भी पहले हो, होगा।

[फा. सं. एन. 24026/1/2004-पीएनडीटी]

डॉ. राकेश कुमार, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ. 85(अ), दिनांक 5 फरवरी, 1997 द्वारा प्रकाशित की गई थी और का.आ. 160(अ.), दिनांक 28 फरवरी, 1998 द्वारा संशोधित और का.आ. 694(अ.), दिनांक 13 अगस्त, 1998, का.आ. 61(अ.), दिनांक 14 जनवरी, 2000, का.आ. 114(अ.), दिनांक 1 फरवरी, 2000, का.आ. 349(अ.), दिनांक 20 अप्रैल, 2001, का.आ. 931(अ.), दिनांक 19 सितम्बर, 2001, का.आ. 590(अ.), दिनांक 31 मई, 2002, का.आ. 1191(अ.), दिनांक 12 नवम्बर, 2002, का.आ. 703(अ.), दिनांक 18 जून, 2003, का.आ. 1458(अ.), दिनांक 23 दिसम्बर, 2003, का.आ. 99(अ.), दिनांक 20 जनवरी, 2004, का.आ. 367(अ.), दिनांक 17 मार्च, 2004, का.आ. 937(अ.), दिनांक 19 अगस्त, 2004, का.आ. 1008(अ.), दिनांक 16 सितम्बर, 2004, का.आ. 56(अ.), दिनांक 19 जनवरी, 2006, का.आ. 199(अ.), दिनांक 10 फरवरी, 2006, का.आ. 200(अ.), दिनांक 10 फरवरी, 2006, का.आ. 1854(अ.), दिनांक 30 अक्टूबर, 2006, का.आ. 1506(अ.), दिनांक 20 जून, 2008, का.आ. 130(अ.), दिनांक 6 जनवरी, 2009, का.आ. 2143(अ.), दिनांक 20 अगस्त, 2009, का.आ. 779(अ.), दिनांक 28 अप्रैल, 2011, और का.आ. 85(अ.), दिनांक 11 जनवरी, 2012, का.आ. 1272(अ), 25 मई, 2012 का.आ. 2613(अ), 25 अक्टूबर, 2012, का.आ. 2825(अ) 22 नवम्बर, 2012; का.आ. 43(अ) दिनांक 31 दिसम्बर, 2012, का.आ. 1351(अ) दिनांक 21 मई, 2013, का.आ. 306(अ) दिनांक 31 जनवरी, 2014, का.आ. 2520(अ) दिनांक 26 सितंबर, 2014, का.आ. 2587(अ) दिनांक 2 अक्टूबर, 2014, का.आ. 1459(अ) दिनांक 1 जून, 2015 और का.आ. 2458(अ) दिनांक 4 सितंबर, 2015 द्वारा आगे और संशोधित की गई है।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2015

S.O. 3097(E).—In exercise of the powers conferred by Section 7 read with Section 15 of the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act of 1994, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Notification No. S.O. 85(E), dated 5th February, 1997, issued by Government of India, in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Family Welfare), namely:

In the said notification, for serial number 18 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

“18. Dr. Vijaylaxmi Sadho, Member ”
Member of Parliament (Rajya Sabha),
97-98, South Avenue, New Delhi

2. The term of office of the above Member shall be for a period of three years commencing from the date of this notification or up to her membership in Rajya Sabha, whichever is earlier.

[F. No. N. 24026/1/2004-PNDT]

Dr. RAKESH KUMAR, Jt. Secy.

Footnote: The Principal Notification was published in the Gazette of India, *vide* No. S.O.85 (E), dated 5th February, 1997 and amended *vide* No. S.O. 160(E) dated 28th February, 1998 and further amended *vide* Nos. S.O. 694(E) dated 13th August, 1998, S.O. 61(E) dated 14th January, 2000; S.O. 114(E) dated 1st February, 2000; S.O. 349(E) dated 20th April, 2001; S.O. 931(E) dated 19th September, 2001; S.O. 590(E) dated 31st May, 2002; S.O. 1191(E) dated 12th November, 2002; S.O. 703(E) dated 18th June, 2003; S.O. 1458(E) dated 23rd December, 2003; S.O. 99(E) dated 20th January, 2004; S.O. 367(E) dated 17th March, 2004; S.O. 937(E) dated 19th August, 2004; S.O. 1008(E) dated 16th September, 2004; S.O. 56(E) dated 19th January, 2006; S.O.199(E) dated 10th February, 2006; S.O.200(E) dated 10th February, 2006; S.O. 1854(E) dated 30th

October, 2006; S.O. 1506(E) dated 20th June, 2008; S.O.130(E) dated 6th January, 2009; S.O. 2143(E) dated 20th August, 2009; S.O. 779(E) dated 28th April, 2011; S.O. 85(E) dated 11th January, 2012; S.O. 1272(E) dated 25th May, 2012; S.O. 2613(E) dated 25th October, 2012; S.O. 2825(E) dated 22nd November, 2012; S.O. 43(E) dated 31st December, 2012 and S.O. 1351(E) dated 21st May, 2013; S.O. 306(E) dated 31st January, 2014; S.O. 2520(E) dated 26th September, 2014, S.O. 2587(E) dated 2nd October, 2014, S.O. 1459(E) dated 1st June, 2015 and S.O. 2458 dated 4th September, 2015.